अध्याय – 3

मंत्रालय/विभाग द्वारा उठाए गए सुधारात्मक उपाय तथा नीतिगत पहल

मंत्रालय/विभाग द्वारा उठाए गए सुधारात्मक उपाय तथा नीतिगत पहल निम्नलिखित है:-

1. अनुसंधान एवं सांख्यिकी

योजना रूप रेखा तथा दृश्य विवरण

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को प्रायः 10 वर्षों से पहले ही अद्यतन करना आवश्यक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–खेतिहर श्रमिक/ग्रामीण श्रमिक (आधार 1986–87=100) श्रृंखला को तत्काल अद्यतन करने की आवश्यकता है क्योंकि इसका आधार 20 वर्ष तथा भार 23 वर्ष पुराना है ब्यूरो ने राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा इसके 61वें दौर (2004–05) के दौरान एकत्रित उपभोग व्यय आंकडों के आधार पर वर्तमान श्रृंखला के आधार वर्ष के संशोधन का प्रस्ताव रखा है। प्रस्तावित श्रृंखला के भारण आरेख को तैयार करने हेतु राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन से अपेक्षित उपभोग व्यय आंकडे यशाशीघ्र प्राप्त करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। यद्यपि योजना आयोग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई योजना–श्रम एवं रोजगार सांख्यिकीय पद्धति में सुधार के तहत आधार वर्ष का अद्यतन सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन किया है।

I. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

खेतिहर श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की श्रृंखला का संकलन, प्रकाशन रख–रखाव श्रम ब्यूरो की नॉन प्लान स्कीम के तहत मासिक आधार पर नियमित रूप से किया जा रहा था। अक्तूबर, 1995 तक इस श्रृंखला का आधार 1960–61=100 था। इस विषय से संबंधित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय तकनीकी गोष्ठियों की सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए 1986–87=100 के आधार पर नवम्बर, 1995 माह के सूचकांक के साथ पुरानी श्रृंखला को 1986–87=100 के आधार के साथ नई श्रृंखला में बदल दिया गया है। निर्गामी श्रृंखला जबकि केवल खेतिहर श्रमिकों के लिए संकलित की जा रही थी, नई श्रृंखला में खेतिहर श्रमिकों तथा ग्रामीण श्रमिकों प्रत्येक के लिए दो अलग सूचकांक संकलित किए जा रहे हैं। नई श्रृंखला में प्रतिदर्श मूल्य गावों की संख्या 422 से 600 तक बढोतरी होने के साथ स्थानिक कार्य क्षेत्र भी 15 से 20 राज्यों तक बढ़ा दिया गया है। कार्य क्षेत्र के अतिरिक्त नई श्रृंखला में कई सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुसरण में वर्तमान श्रृंखला (आधार 1986–87=100) को भी नई श्रृंखला द्वारा बदला जाना है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा अन्य एजेन्सियों की सिफारिशों के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आवधिक अद्यतन ग्रामीण श्रम अन्वेषणों के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण दौर द्वारा दिए गए पारिवारिक उपभोग व्यय के आधार पर संशोधित भारण आरेख के संशोधन द्वारा किया जाता है।

II. व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण

व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण का उद्देश्य चयनित उद्योगों में रोजगार, मजदूरी दर तथा उपार्जन पर औद्योगिक श्रमिकों के व्यवसायवार आंकडे उपलब्ध कराना, अन्तरा उद्योग तथा अन्तः उद्योग मजदूरी विभिन्नताओं का अध्ययन करना है ।

इस सर्वेक्षण द्वारा रोजगार तथा मजदूरी दरों पर व्यवसायवार आंकडों के अतिरिक्त उपार्जन पर घटकवार आंकडे भी तैयार किए जाते हैं । इसके साथ रोजगार तथा मजदूरी दरों पर आंकडे मजदूरी दर सूचकांक के संकलन के लिए आधार का कार्य करते हैं । अभी तक वर्ष 1958–59, 1963–65, 1974–79 तथा 1985–92 तथा 1993–99 में व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण के पांच दौर आयोजित किए गए हैं । व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण के इन दौरों में शामिल सभी उद्योगों की रिपोर्टे जारी की जा चुकी हैं ।

व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण का छठा दौर वर्ष 2002 में आरम्भ किया गया तथा इस दौर के दौरान विभिन्न क्षेत्रों (45 विनिर्माण, 4 खनन, 3 बागान तथा 4 सेवा क्षेत्र) के तहत 56 चुनिन्दा उद्योगों को शामिल करने का प्रस्ताव है ।

4 सेवा क्षेत्र उद्योगों (विद्युत उत्पादन एवं वितरण, रेलवे, सार्वजनिक मोटर परिवहन तथा पोत एवं गोद) , 3 बागान उद्योगों (चाय, कॉफी एवं रबड), एक चाय संसाधन उद्योग, 4 खनन उद्योग, 5 वस्त्र उद्योग (सूती, ऊनी, रेशमी, संश्लिष्ट एवं जूट वस्त्र) तथा तैयार वस्त्र उद्योग, 10 इंजीनियरिंग उद्योगों अर्थात् शिप बिल्डिंग लोकोमोटिवस मोटर वाहन, मोटर साइकल/स्कूटर, साइकिल एवं रिक्शा, जहाज, फ्रिज, एयरकंडिशनर, टी.वी. तथा टेलीप्रिन्टर, कम्प्यूटर तथा घडिया एवं दीवार घडी पर रिपोर्टे पहले ही प्रकाशित कर दी गई हैं । 9 इंजीनियरिंग उद्योगों पर रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

10 विनिर्माण उद्योगो में फ्रेम से संबंधित कार्य, प्रतिदर्श तथा विकल्प सूची तैयार करने से संबंधित कार्य को पूरा कर लिया गया है तथा फील्ड सर्वेक्षण शीघ्र ही आरम्भ किया जा रहा है ।

III. श्रम के विभिन्न वर्गों का सामाजार्थिक सर्वेक्षण

श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के सामाजार्थिक सर्वेक्षण घटक के तहत विभिन्न वर्गों/उद्योगों के लिए सर्वेक्षणों का आयोजन उनमें नियोजित श्रमिकों की कार्यकारी एवं निर्वाह स्थितियों का पता लगाने के लिए किया जाता है ।

इसके चार घटक है अर्थात् (i) उद्योगों में महिला श्रमिकों की सामाजार्थिक स्थितियां (ii) असंगठित क्षेत्र में उद्योगों/नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों की कार्यकारी एवं निर्वाह स्थितियां (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों से संबंधित श्रमिकों की कार्यकारी एवं निर्वाह स्थितियां तथा (iv) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन के मूल्यांकन पर अध्ययन ।

i) उद्योग में कार्यरत महिला कामगारों की सामाजार्थिक स्थितियों के अध्ययन का उद्देश्य महिला

कामगारों की कार्य एवं निर्वाह स्थितियों तथा विभिन्न श्रम कानूनों की तुलना में उन्हें उपलब्ध कराई जा रही कल्याणकारी सुविधाओं का विश्लेषण करना है । अध्ययन में संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों की महिला कामगारों को सम्मिलित किया जाता है । विभिन्न उद्योगों में महिला कामगारों की सामाजार्थिक स्थितियों पर 21 सर्वेक्षण किए जा चुके हैं तथा सभी रिपोर्टें प्रकाशित की जा चुकी हैं ।

ii) असंगठित क्षेत्र सर्वेक्षणों का उद्देश्य उद्योगों के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की कार्यकारी एवं निर्वाह स्थितियों पर आंकडों का संग्रहण करना है । इस उद्देश्य हेतु चयनित किए गए क्षेत्रों में अब तक ऐसे 31 सर्वेक्षण किए गए हैं तथा सभी रिपोर्टे प्रकाशित कर दी गई हैं । हस्तकरघा उद्योग में सर्वेक्षण आयोजित करने हेतु प्रारम्भिक कार्य प्रगति पर है ।

iii) प्रारम्भ में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों की कार्यकारी एवं निर्वाह स्थितियों पर सर्वेक्षण शहरी क्षेत्रों में चार अस्वच्छ व्यवसायों में तथा औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण केन्द्रों पर आयोजित किया गया । तथापि, वर्ष 1999 में अन्तर विभागीय निर्देशन समिति के सुझावों पर जयपुर केन्द्र पर आयोजित सर्वेक्षण से स्वच्छ व्यवसायों तथा पडोसी गांवों को ाामिल करने हेतु अनुसूचित जाति सर्वेक्षण का कार्यक्षेत्र बढा दिया गया है । अब तक 18 सर्वेक्षण (9 अनुसूचित जाति तथा 9 अनुसूचित जनजाति) आयोजित किए गए हैं तथा इनमें से 17 रिपोर्टे प्रकाशित कर दी गई हैं । उडीसा में के.बी. के. अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के संबंध में रिपोर्ट प्रारूपण प्रगति पर है ।

iv) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन के मूल्यांकन पर अध्ययन का उद्देश्य उस सीमा का मूल्यांकन करना है जिसमें विभिन्न सूचीबद्ध रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों को लागू किया गया है । आरम्भ में स्कीम को कृषि क्षेत्र में लागू किया गया था लेकिन बाद में केन्द्रीय क्षेत्र में बॉक्साइट, खनन तथा भवन एवं निर्माण तथा राज्य क्षेत्र में तम्बाकू (बीडी बनाने सहित) विनिर्माण तथा भवन एवं निर्माण को सम्मिलित करने हेतु कार्यक्षेत्र का विस्तार कर दिया गया था । अब तक 27 सर्वेक्षण आरम्भ किए गए हैं तथा सभी रिपोर्टे प्रकाशित कर दी गई है ।

IV उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण-प्रतिदर्श क्षेत्र तक विस्तार (कारखाने)

उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण आंकडा संग्रहण अधिनियम 1953 तथा 1959 में उसके तहत बनाई गई नियमावली के तहत कानूनी रूप से आयोजित किया जा रहा है । यह स्कीम 1961 से लागू है । इस स्कीम के तहत आंकडों का एकत्रण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किया जा रहा है तथा श्रम ब्यूरो द्वारा उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण प्रपत्र के श्रम भाग अर्थात् भाग–II तथा भाग–I के खण्ड–ई के तहत एकत्रित आंकडों का प्रचार किया जा रहा है । इसमें अनुपस्थिति, श्रम आवर्त, श्रम रोजगार कार्य के लिए निश्चित श्रम दिवस, कार्य किए गए श्रम दिवस तथा श्रम लागत के विभिन्न घटक पर आंकडे शामिल हैं । कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 2 एम (i) तथा 2 एम (ii) तथा बीडी एवं सिगार कामगार (रोजगार की स्थितियां) अधिनियम 1966 के तहत पंजीकृत सभी संस्थान उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के तहत सम्मिलित हैं । उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के 1976–77 दौर से उद्योगों के वार्षिक

सर्वेक्षण के तहत आंकडा संग्रहण 2 स्कीमों अर्थात् (i) गणना क्षेत्र (ii) प्रतिदर्श क्षेत्र के तहत किया जाता है ।

वर्तमान में उपर्युक्त कुल संस्थानों में से 100 या उससे अधिक श्रमिकों को नियुक्त करने वाली इकाइयां तथा चयनित कम औद्योगीकृत राज्यों/संघशासित प्रदेशों में स्थित इकाइयां गणना क्षेत्र के तहत सम्मिलित हैं । सभी शेष इकाइयां जो गणना क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं की गई है प्रतिदर्श क्षेत्र के तहत सम्मिलित हैं ।

V ग्रामीण श्रम अन्वेषण

ग्रामीण श्रम अन्वेषण (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–खेतिहर श्रमिक/ग्रामीण श्रमिक सहित) स्कीम के तहत 3 कार्य आतें हैं अर्थात् (i) ग्रामीण श्रम परिवारों के विभिन्न सामाजार्थिक पहलुओं पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा एकत्रित पंचवर्षीय आंकडों पर आधारित गम्रीण श्रम अन्वेषण रिपोर्टों का संकलन एवं प्रकाशन (ii) आधार 1986–87=100 पर खेतिहर एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन एवं प्रकाशन । (iii) 20 राज्यों तथा अखिल भारत के लिए 18 खेतिहर तथा गैरखेतिहर व्यवसायों के संबंध में मजदूरी दर आंकडों का संकलन तथा प्रकाशन ।

विभिन्न लक्ष्य समूह अभिमुख निर्धनता विरोधी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के निर्धारण तथा कार्यान्वयन द्वारा विशेषतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता उन्मूलन करना भारत सरकार का प्रयास रहा है । इस तरह ऐसे प्रभावी कार्यक्रमों के निर्धारण हेतु पूर्ण आंकडों की अत्यधिक आवश्यकता अनुभव की गई । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण श्रम अन्वेषण, विभिन्न सामाजार्थिक पहलुओं अर्थात् रोजगार एवं बेरोजगारी, उपभोग व्यय, ऋणग्रस्तता तथा ग्रामीण एवं खेतिहर श्रमिकों का मजदूरी एवं उपार्जन पर पंचवर्षीय आधार पर आंकडे एकत्रित तथा विश्लेषित करता है । खेतिहर तथा ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की श्रृंखला के अद्यतन हेतु भारण आरेख तैयार करने के लिए ग्रामीण/खेतिहर श्रमिकों के पारिवारिक उपभोग व्यय पर आंकडे उपलब्ध करवाना भी ग्रामीण श्रम अन्वेषण का उद्देश्य है । प्रथम खेतिहर श्रमिक अन्वेषण 1950–51 में तथा द्वितीय 1956–57 में आयोजित किया गया । सभी ग्रामीण श्रमिक परिवारों को सम्मिलित करने हेतु अनुवर्ती अन्वेषणों के कार्यक्षेत्र में विस्तार कर दिया गया था । इस तरह श्रृंखला में तृतीय अन्वेषण जिसे प्रथम ग्रामीण श्रम अन्वेषण के नाम से जाना जाता है 1963–65 में तथा द्वितीय अन्वेषण 1974–75 में आयोजित किया गया । तृतीय, चतुर्थ तथा पांचवॉ, छठा, सातवॉ तथा आठवॉ ग्रामीण श्रम अन्वेषण क्रमशः वर्ष 1977–78, 1983, 1987–88, 1993–94, 1999–2000 तथा 2004–2005 में आयोजित किए गए । वर्ष 2009–10 के दौरान श्रृंखला में नवीनतम तथा नौआ प्रगति पर है । अन्वेषण के निरन्तर दो दौरों के बीच अन्तर को कम करने के उद्देश्य से ग्रामीण श्रम अन्वेषण के फील्ड कार्य का वर्ष 1977–78 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के सामान्य रोजगार तथा बेरोजगारी सर्वेक्षण से एकीकरण के साथ समय श्रृंखला के रूप में निरन्तर आंकडे उपलब्ध करवाने हेतु सभी अनुवर्ती अन्वेषण पंचवर्षीय आधार पर आयोजित किए जा रहे

हैं । राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित प्रत्येक पंचवर्षीय सर्वेक्षण के तहत एकत्रित खेतिहर तथा ग्रामीण श्रम परिवारों से संबंधित आंकडे श्रम ब्यूरो द्वारा संसाधित किए जाते है तथा खेतिहर/ग्रामीण श्रम परिवारों के विभिन्न पहलुओं अर्थात् ऋणग्रस्तता, उपभोग व्यय, मजदूरी एवं उपार्जन, रोजगार एवं बेरोजगारी तथा ग्रामीण श्रम परिवारों की सामान्य विशेषताओं पर रिपोर्ट निकाली जाती हैं ।

2. औद्योगिक संबंध

(ज) प्रबंध-ा में श्रमिज सहभाजिता विधेयज, 1990:

वर्ष 1990 से आर्थिज तथा सामाजिज मा-ादंडों में हुए परिवर्त-ाों जो प्रतिबिम्बित जर-ो हेतु प्रबंध-ा में श्रमिज सहभाजिता विधेयज, 1990 में जुछेज संशोध-ा अपेजित होंजे। यह -िर्जय लिया जया है जि त्रिपजीय मंच पर सामाजिज भाजीदारों जे साथ विचार-विमर्श/सलाह जे पश्चात जुछेज संशोध-ा जे साथ विधेयज पर आजे जी जार्रवाई जी जाएजी। दि-ांज 14.02.2006 तथा 16.05.2007 जो आयोजित त्रिपजीय समिति जी बैठज में प्रबंध-ा में श्रमिज सहभाजिता विधेयज, 1990 पर चर्चा जी जयी थी। शीर्ष स्तर पर -ियोक्ताओं एवं जामजार प्रति-िधियों जे मतों में भिन्नता जे जारज सर्वसम्मति -ाहीं ब-ा पायी। पजधारियों जे बीच शीर्ष बोर्ड स्तर पर जामजारों जी सहभाजिता संबंधी महत्वपूर्ज मामलों पर वर्तमा-ा अवरोध जो दूर जर-ो हेतु बड़े औद्योजिज संजठ-ाों तथा भारी उद्योज विभाज तथा सार्वज-िज उपज्रम विभाज जे साथ विचार-विमर्श जर-ो जा -िर्जय लिया जया है। भारी उद्योज एवं सार्वज-िज उपज्रम मंत्रालय से यह अ-ुरोध जिया जया है जि इस बैठज में भाज ले-ो वाले उ-ा जे-द्रीय सार्वज-िज जेत्र उपज्रमों जा -ााम सुझाएं जि-ाजे आमंत्रितों जी सूची तैयार जी जा-ाी है।

पजधारियों जे साथ विचार-विमर्श जी प्रज्रिया जारी है तथा मंत्रालय पजधारियों जे साथ विचार-विमर्श जे पश्चात सर्वसम्मति जायम जर-ो जी प्रज्रिया में है।

(ज) ट्रेड यू-ािय-ा (संशोध-ा) अधि-ियम, 2001

ट्रेड यू-िय-ा अधि-ियम, 1926 जो पिछली बार 09.01.2002 से संशोधित और प्रवर्तित जिया जया है। संजेप में, इ-ा संशोध-ाों जा उद्देश्य श्रमिज संघों जा ज्रमिज विजास सु-िाश्चित जर-ाा और श्रमिज संघों जी बहुलता में जमी ला-ाा है।

(ज) औद्योजिज विवाद अधि-ियम, 1947

औद्योजिज विवाद अधि-ियम (संशोध-ा) विधेयज, 2009 राज्य सभा में 26.2.2009 जो पुर:स्थापित जिया जया था। औद्योजिज विवाद (संशोध-ा) विधेयज, 2009 जो श्रम संबंधी स्थायी समिति जो संदर्भित जिया जया था।

लोज सभा सचिवालय -ो अप-ाी रिपोर्ट 09.12.2009 जो संसद में प्रस्तुत जर दी है। स्थायी समिति -ो विधेयज में प्रस्तावित संशोध-ाों में और अधिज बदलाव जे लिए जतिपय सिफारिशें जी थीं। श्रम एवं रोजजार मंत्रालय -ो स्थायी समिति जी जुछ सिफारिशों जो स्वीजार जर-ो जा -िर्जय लिया है। तद-ुसार, मंत्रिमंडल

जे लिए एज मसौदा टिप्पजी तैयार जी जई और उसे विधायी विभाज, विधि एवं -याय मंत्रालय जो औद्योजिज विवाद (संशोध-ा) विधेयज, 2009 में उपयुक्त संशोध-ों जे लिए संदर्भित जर दिया जया था।

(घ) बाजा-ा श्रम अधि-ियम, 1951

बाजा-ा श्रम (संशोध-ा) विधेयज, 2008 राज्य सभा में 21.10.2008 जो पुर:स्थापित जिया जया जिसे श्रम संबंधी स्थायी समिति जो परीजज एवं रिपोर्ट हेतु संदर्भित जिया जया था। स्थायी समिति -ो अप-ी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत जर दी है। स्थायी समिति जी सिफारिशों पर मंत्रालय में विचार जिया जया तथा मंत्रिमंडल जे लिए मसौदा टिप्पजी तैयार जर ली जई है। मंत्रिमंडल जे लिए मसौदा टिप्पजी मंत्रिमंडल तथा प्रधा-ामंत्री जार्यालय जे अ-ुमोद-ा हेतु अज्रेषित जी जा रही है।

(ङ) बाजा-ा उद्योज संबंधी त्रिपजीय औद्योजिज समिति

बाजा-ा उद्योज संबंधी त्रिपजीय औद्योजिज समिति जी पिछली बैठज 26.08.2005 जो आयोजित जी जई थी। समिति जब जभी आवश्यजता महसूस जरती है, बैठजों जा आयोज-ा जरती है।

त्रिपजीय औद्योजिज समिति जी बैठज जा व्यय जैर-सरजारी सदस्यों जे यात्रा भत्ता/दैनि-ज भत्ता तथा अ-य प्रशासनि-ज व्यय से पूरा जिया जाएजा। इस बैठज पर हो-ो वाले व्यय जा अ-ुमानि-त आजल-ा 1.00 लाज रुपये है।

(च) सड़ज परिवह-ा उद्योज त्रिपजीय औद्योजिज समिति:

सड़ज परिवह-ा उद्योज संबंधी औद्योजिज त्रिपजीय समिति जी पिछली बैठज 7.7.2006 जो आयोजित जी जई जिसमें 10.4.2003 जो आयोजित बैठज में लिए जए नि-र्जय जे अ-ुसरज में जठित उप-समिति जी रिपोर्ट में जी जई सिफारिशों पर चर्चा जी जई। यह उप-समिति तत्जाली-ा जे-द्रीय सड़ज परिवह-ा संस्था-ा (सीआईआरटी) जे अध्यजज श्री ए.एस.लाजड़ा जी अध्यजता में जठित जी जई जिसमें सामाजिज सुरजा, स्वास्थ्य देज-रेज तथा सड़ज परिवह-ा से संबंधित जामजारों जो अ-य सुविधाएं प्रदा-ा जर-ो एवं मा-य सुझावों पर क्रिया-वय-ा जे लिए एज विषय सूची तैयार जी जई। समिति जब जभी आवश्यजता महसूस जरती है, बैठजों जा आयोज-ा जरती है।

त्रिपजीय औद्योजिज समिति जी बैठज जा व्यय जैर-सरजारी सदस्यों जे यात्रा भत्ता/दैनि-ज भत्ता तथा अ-य प्रशासनि-ज व्यय से पूरा जिया जाएजा। इस बैठज पर हो-ो वाले व्यय जा अ-ुमानि-त आजल-ा 1.00 लाज रुपये है।

घ) वेतन बोर्ड

श्रमजीवी पत्रकार तथा गैर–पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें) तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1995 की धारा 9 और 13ग के तहत दो नए वेतन बोर्ड 24.05.2007 की अधिसुचना द्वारा गठित किए गए थे – एक श्रमजीवी पत्रकारों के लिए दूसरा गैर – समाचारपत्र कर्मचारियों के लिए। इसने कर्मचारी भविष्य निधि के संगठन परिसर, द्वारका, नई दिल्ली के कार्यालय से नवम्बर, 2007 से ही कार्य

करना प्रारम्भ किया। कार्यालय के लिए स्थान निर्धारण, कर्मचारियों की नियुक्ति और आवार की व्यवस्था आदि में समय लगने के कारण विलंब हुआ।

वेतन बोर्डो की कई बैठकें हो चुकी हैं तथा सभी संबंधितों को प्रश्नावली जारी की जा चुकी है। कुछ राज्यों का दौरा किया जा चुका है और राज्य सरकार के अधिकारियों, समाचारपत्र प्रतिष्ठान और कर्मचारियों से परामर्श कर पत्रकारों तथा अन्य समाचारपत्र कर्मचारियेां और अन्य एजेंस कर्मचारियों को मूल वेतन के 30 प्रतिशत की दस से 8 जनवरी, 2008 से अंतरिम वेतन देने के संबधं में सां.आ. संख्या 2524(अ) तथा सां.आ. संख्या 2525(अ), दिनांक 24 अक्टूबर, 2008 को अधिसूचना जारी कर दी है।

बंबंई उच्च न्यायालय के अवकाशप्राप्त न्यायाधिश न्यायमूर्ति जी. आर. मजीठिया ने श्रमजीवी पत्रकारों तथा अन्य समाचारपत्र कर्मचारियों संबंधी वेतन बोर्डो के संयुक्त अध्यक्ष के तौर पर 4 मार्च, 2009 को कार्य संभाल लिया है।

ङ) वेतन मजदूरी प्रकोष्ठ

ज़े-द्र सरजार भी विभिन्न राज्यों और संघ राज्य जेत्रों में -यू-ातम मजदूरी अधि-ियम ज़े जार्या-वय-ा पर पै-ाी -ाजर रजती है। राज्य सरजारों जो समय-समय पर सलाह दी जई है जि वे -यू-ातम मजदूरी अधि-ियम ज़े जार्या-वय-ा जी प्रभाविता बढ़ा-ो ज़े लिए विभिन्न उपाय ज़रें। संस्तुत जदमों में अ-य विभाजों ज़े अधिजारियों जी सेवाओं ज़े उपयोज जो शामिल ज़र-ाा शामिल है, जैसे-राजस्व, ज़ृषि, सहजारिता आदि, ताजि -िरीजजों जी संज्या बढ़ सजे और रेडियो, प्रेस आदि जैसे माध्यमों ज़े जरिए श्रमिजों में -यू-ातम मजदूरी संबंधी सांविधिज उपबंधों जी जा-ाजारी फैले।

राष्ट्रीय समा-ा स्तरीय -यू-ातम मजदूरी : एज समा-ा मजदूरी ढांचा जायम ज़र-ो और देश भर में -यू-ातम मजदूरी में असमा-ाताएं जम ज़र-ो ज़े लिए, राष्ट्रीय ज्रामीज श्रम आयोज जी सिफारिशों ज़े आधार पर राष्ट्रीय समा-ा स्तरीय -यू-ातम मजदूरी जी अवधारजा 1991 में शुरू जी जई थी । राष्ट्रीय ज्रामीज श्रम आयोज जी सिफारिश और मूल्य सूचजांजों में उत्तरवर्ती वृद्धि जो देजते हुए राष्ट्रीय समा-ा स्तरीय -यू-ातम मजदूरी 1.12.1999 से 45/- रुपये और 1.9.2002 से 50/- रुपये प्रतिदि-ा -िर्धारित जी जई।

1996 में मा-ाजों ज़े आधार पर 35/- रुपये प्रतिदि-ा -िर्धारित जिया जया था । उपभोक्ता मूल्य सूचजांज में वृद्धि जो देजते हुए ज़े-द्र सरजार -ो राष्ट्रीय समा-ा स्तरीय -यू-ातम मजदूरी जो 1998 में 40/- रुपये प्रतिदि-ा और जार्यदल ज़े सुझाव तथा ज़े-द्रीय सलाहजार बोर्ड जी 19.12.2003 जी बैठज में इसजी स्वीज़ृति ज़े आधार पर 1.2.2004 से इसे 66/- रुपये प्रतिदि-ा ज़र दिया । उपभोक्ता मूल्य सूचजांज में वृद्धि ज़े आधार पर ज़े-द्र सरजार -ो हाल ही में 1.9.2007 से राष्ट्रीय समा-ा स्तर -यू-ातम मजदूरी जा पु-ारीजज ज़र इसे 66/- रुपये से 80/-से 100/- रुपये प्रतिदि-ा 1.11.2009 से ज़र दिया। फिर भी, यह स्पष्ट जिया जाता है जि विभिन्न राज्यों /संघ राज्य जेत्रों में -यू-ातम मजदूरी में उर्ध्वमुजी संशोध-ा सुस-िाश्चित ज़र-ो ज़े लिए राष्ट्रीय समा-ा स्तरीय -यू-ातम मजदूरी एज संविधा-ोतर उपाय है । इस प्रजार, राज्य सरजारों जो ज़हा जाता है जि वे -यू-ातम मजदूरी जा -िर्धारिज इस प्रजार ज़रें जि जिसी भी अ-ाुसूचित -ियोज-ा में

-यू-ातम मजदूरी राष्ट्रीय समा-ा स्तरीय -य-ूतम मजदूरी से ज्म -ा रहे । इस विधि से विभिन्न राज्यों में -यू-ातम मजदूरी ज़ी असमा-ाता ज़ो घटा-े में ज़ुछ हद तज़ मदद मिली है ।

संजेप में, -यू-ातम मजदूरी अधि-ियम, 1948 ज़ा प्रभावी ज़ार्या-वय-ा जिसमें प्राथमिज़ रूप से राज्य जेत्र में आ-े वाली राष्ट्रीय फ्लोर लेवल -यू-ातम मजदूरी अथवा उच्च -यू-ातम मजदूरी में संशोध-ा ज़र-ाा शामिल है ज़े संबंध में, हमारे द्वारा व्यापज़ स्तर पर वार्त, पत्र लेज-ा वैयक्तिज़ स्तर पर पारस्परिज़ ज़ार्यज़लापों एवं राज्यों ज़े दौरे जि-ामें पूर्वोत्तर राज्य भी शामिल ज़िए जाते हैं, ज़े माध्यम से अथज़ प्रयास ज़िए जाते जैं । राज्य सरज़ारों से -ियमित रूप से ज़म से ज़म वर्तमा-ा में 100/- रुपये प्रतिदि-ा ज़ी राष्ट्रीय फ्लोर लेवल -यू-ातम मजदूरी ज़े समा-ा अ-ुसूचित -ियोज-ाों में -यू-ातम मजदूरी -िर्धारित ज़र-े ज़े अ-ुरोध ज़िए जाते रहे हैं ।

इसज़े अलावा, 20-21 फरवरी, 2009 ज़ो आयोजित भारतीय श्रम सम्मेल-ा ज़े 42वें सत्र में यह -िर्जय लिया जया ज़ि राष्ट्रीय फ्लोर लेवल -यू-ातम मजदूरी -िर्धारित ज़ी जाए तथा इसे सांविधिज़ रूप से लाजू ज़रा-ाा सुनिश्चित ज़िया जाए । राष्ट्रीय फ्लोर लेवल -यू-ातम मजदूरी ज़े -िर्धारज एवं इसज़े लाजू ज़र-े संबंधी सांविधिज़ उपबंधों ज़ो -यू-ातम मजदूरी अधि-ियम, 1948 में सशोध-ा ज़े माध्यम से ही संभव ब-ााया जा सज़ता है । -यू-ातम मजदूरी (संशोध-ा) विधेयज़ ब-ााया जा रहा है तथा इसे हम "अ-ुसूची में ज़वर -हीं हो रहे अ-य -ियोज-ा" में शामिल ज़र सज़ते हैं ।

ज़े-द्रीय जेत्र में अ-ुसूचित -ियोज-ाों ज़े लिए -यू-ातम मजदूरी दरों ज़ो दर्शा-े वाला विवरज नीचे दिया गया है।

(01.10.2009 की स्थिति के अनुसार)

अनुसूचित नियोजन का नाम	कामगार की श्रेणी	परिवर्ती मंहगाई भत्ते सहित मजदूरी की दरें प्रतिदिन(रुपयों में)		
		क्षेत्र-क	क्षेत्र ख	क्षेत्र ग
1. कृषि (1)	अकुशल	146.00	132.00	130.00
	अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	160.00	148.00	135.00
	कुशल/लिपिकीय	174.00	160.00	147.00
	अतिकुशल	194.00	179.00	160.00
2. पत्थर तोड़ने तथा पत्थर पीसने के लिए पत्थर खान में संलग्न कामगार (1)	1. उत्खनन एवं 50 मीटर लीड/1.5 मीटर ऊंचाई सहित अधिक भार को हटाने में:			
	(क) मुलायम मिट्टी	136.84		
	(ख) कंकड़ सहित मुलायम मिट्टी	207.74		
	(ग) कंकड़	274.72		
	2. हटाने एवं 50 मीटर लीड/1.5 मीटर ऊंचाई सहित छाटे गये पत्थरों को जमा करने में:	109.09		
	एक समान आकार में पत्थर तोड़ने अथवा पत्थर पीसने के लिए			
	(क) 1.0 इंच से 1.5 इंच	852.99		
	(ख) 1.5 इंच से 3.0 इंच से ऊपर	728.67		
	(ग) 3.0 इंच से 5.0 इंच से ऊपर	425.96		
	(घ) 5.0 इंच से ऊपर	349.42		
3. झाडू लगाने एवं सफाई करने में (1)	अकुशल	203.00	169.00	135.00
4. पहरा-निगरानी (1)	बिना शस्त्र के	203.00	169.00	135.00
	शस्त्र सहित	225.00	192.00	158.00
5. लादने एवं उतारने (1)	अकुशल	203.00	169.00	135.00
6. निर्माण (4)	अकुशल	203.00	169.00	135.00
	अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षण	225.00	192.00	158.00
	कुशल/लिपिकीय	248.00	225.00	192.00
	अति कुशल	270.00	248.00	225.00
7. गैर-कोयला खानें (36)		भूमि के ऊपर	भूमि के नीचे	
	अकुशल	135.00	169.00	
	अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षण	169.00	203.00	
	कुशल/लिपिकीय	203.00	237.00	
	अति कुशल	237.00	270.00	

3. कार्य दशायें और सुरक्षा

(क) भारतीय श्रम सम्मेलन के 42 वें सत्र उद्‌घाटन सत्र के दौरान दिनांक 20 फरवरी 2009 को भारत सरकार ने कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर राष्ट्रीय नीति घोषित की । इस राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य कार्य संबंधी चोट, रोग, आपदा और राष्ट्रीय संपत्ति की हानि में निरन्तर कमी करना है। नीति में प्रभावी प्रवर्तन, राष्ट्रीय मानकों का विकास, उचित माध्यमों द्वारा मानकों के साथ अनुपालन संवर्धन; सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूकता, क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन और व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दक्षता विकास जैसे कार्रवाई कार्यक्रम शामिल हैं। विभिन्न पणधारियों द्वारा राष्ट्रीय नीति के क्रियान्वयन पर सरकार विचार कर रही है और उचित कार्यक्रमों की योजनाएं बनाई जा रही हैं।

संस्थापक सदस्य के रूप में, भारत अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा अंगीकृत मानकों को प्रभावी बनाने के लिए कृतसंकल्प हैं। इन मानकों को विधि या विनियमों में समाहित कर, सामूहिक करार, व्यवहार संहिता आदि से अंगीकार किया जाता है। सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आई.एल.ओ. के दस्तावेज नामतः व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कन्वेंशन, 1981 (नं.155) एस्बेस्टॉस कन्वेंशन, 1986 (नं.162), रासायन कन्वेंशन 1990 (नं.170) भारत सरकार के पास सुधार के लिए सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के गहन आशोधन के लिए श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव राज्य सरकारों और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजा गया है। प्रस्तावित आशोधन मंत्रालय के पास विचाराधीन है।

ख) खान सुरक्षा महानिदेशालय

जा-ा सुरजा महा-िदेशालय जा-ा अधि-ियम 1952 जे प्रावधा-ों एवं उसजे तैयार जिये जए -ियमों और वि-ियमों जो लाजू जरता है। इ-ा -ियमों /वि-ियमों/ अधि-ियम जे तहत उठाये जा-ेवाले आवश्यज सांविधिज उपाय जो समय समय पर जा-ू-ी जार्रवाई हेतु संशोधित जर-े जी जरूरत है जिससे जि ज-ा-ा उद्योज जे बदलते परिदृश्य जे साथ जदम से जदम मिलाजर चला जा सजे।

जोयला जा-ा वि-ियम, 1957 में उपरोक्त प्रस्तावित सुधारों जो ध्या-ा में रजते हुये मामले जे संदर्भ में मंत्रालय जो जार्रवाई हेतु सूचित जिया जा चुजा है। जा-ा अधि-ियम, 1952 में जी जा-ेवाली सुधार विचाराधी-ा है।

4. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा

राज्य सरकार तथा बीमकर्ताओं के बीच पैनल बनाने के लिए ऐसी अपेक्षाओं पर हुई सहमति के अध्यधीन अस्पताल में भर्ती तथा/अथवा दिन के समय सेवा उपलब्ध कराने वाले सरकारी (ई एस आई सहित) तथा निजी स्वास्थ्य बीमा प्रदाता दोनो ही राष्ट्रीय स्वास्थय बीमा योजना में शामिल हाने के पात्र हैं।

5. बाल श्रम

श्रम एवं रोजजार मंत्रालय देश में बाल श्रम जे उ-मूल-ा हेतु विभिन्न सज्रिय जदम उठा रहा है। इस

दिशा में एज महत्वपूर्ज रज-ीति में बाल श्रमिजों जे परिवारों जो सरजार जी विभिन्न विजास यसोज-ााओं जे अंतर्जत ज्वर जरजे उ-हें आर्थिज रूप से सशक्त ब-ाा-ाा शामिल है। इस उद्देश्य हेतु मंत्रालय में सचिव (श्रम एवं रोजजार) जी अध्यजता में राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न मंत्रालयों में अ-ावरत आधार पर सम-वय-ा हेतु सम-वय-ा पर एज जोर समूह जठित जिया है। मा-ाव संसाध-ा विजास, महिला एवं बाल विजास, ज्रामीज विजास, आवास एवं शहरी जरीबी उ-मूल-ा, पंचायती राज, स्वास्थ्य एवं परिवार ज्ल्याज मंत्रालय, जृह एवं सामाजिज -याय एवं अधिजारिता मंत्रालय इस जोर समूह जे सदस्य हैं। सभी संबंधित मंत्रालयों से विभिन्न विजास योज-ााओं जे अंतर्जत बाल श्रमिजों एवं उ-ाजे परिवारों जो ज्वर जर-ो जा अ-ुरोध जिया जा रहा है।

ट्रैज्जि और मॉ-िटरिंज:

श्रम और रोजजार मंत्रालय -ो ए-ा सी एल पी योज-ाा जे अंतर्जत ज्वर जिए जए बाल श्रमिजों जे लिए एज उचित ट्रेज्जि एवं मॉ-िटरिंज प्रजाली जी सिफारिश जर-ो हेतु जार्य समूह जी स्थाप-ाा जी थी। जार्य समूह -ो अप-ाी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में वर्जित मुज्य पहलू -िम्-ावत् हैं (i) एज मॉडल बाल प्रोफाइल जार्ड विजसित जर-ाा, (ii) 9-14 वर्ष् जी उम्र वाले बच्चों जी ट्रेज्जि विशेष विद्यालयों जे अ-ुदेशज/अध्यापजों द्वारा जी जाए और 5-8 वर्ष जी आयु ज्रुप वाले बच्चों जी ट्रेज्जि शिजा विभाज द्वारा जी जाए, (iii) बच्चों जी ट्रेज्जि उ-ाजे विशेष विद्यालयों में -ाामांज-ा जे समय से शुरू होजर उ-ाजे मुज्य धारा में आ-ो जे दो साल बाद तज चल-ी चाहिए, (iv) प्रत्येज तिमाही में आंज्ड़ों जो अद्यत-ा जिया जाये, (v) आंज्ड़ों जी विश्वस-ीयता और परिशुद्धता सु-िश्चित जर-ो जे लिए पंचायती राज्य संस्था-ों द्वारा प्रति बालज ट्रेज्जि सूच-ाा जा मा-ीटरज, (vi) प्रत्येज ए-ा सी एल पी परियोज-ाा जो जम्प्यूटर जरीद एवं तद-ुसार अधिजारियों जे पु-र्प्रशिजज हेतु अतिरिक्त -िधियों जा आबंट-ा, (vii) परियोज-ाा प्रबंध-ा जे लिए भी इस पद्धति जा प्रयोज जिया जाए।

बच्चों जा श्रम जे लिए प्रवास एवं तस्जरी संबंधी -ायाचार

श्रम एवं रोजजार मंत्रालय -ो प्रवासित तथा तस्जरी द्वारा ले जाए जए बाल श्रमिजों जे पु-र्वास जे लिए संयुक्त सचिव (श्रम एवं रोजजार) जी अध्यजता में एज समिति जा जठ-ा जिया है जिसमें भारत सरजार, राज्य जे श्रम विभाजों तथा जैर-सरजारी संजठ-ों जे प्रति-िधि शामिल हैं। प्रवासी तथा तस्जरी द्वारा ले जाए जए बाल श्रमिजों जी सुरजा, उ-ाजे बचाव, प्रत्यर्पज, पु-र्वास तथा पु-ाः समायोज-ा हेतु एज विस्तृत -ायाचार तैयार जर-ो जे लिए एज प्रारूप समिति जा भी जठ-ा जिया जया है। समिति प्रारूप -ायाचार तैयार जर रही है। इसे अंतिम रूप दिये जा-ो से पहले सभी राज्य सरजारों जो उ-ाजे विचारों हेतु भेजा जाएजा।

जाजरूजता सृज-ाः

बाल दिवस जे अवसर पर इलैक्ट्रो-िज मीडिया में दस दि-ा एवं प्रिंट मीडिया में एज दि-ा जी अवधि जे लिए एज राष्ट्रव्यापी प्रवर्त-ा एवं जाजरूजता अभिया-ा प्रारंभ जिया जया था। इस अवधि जे दौरा-ा बाल श्रम जे मुद्दे पर व्यापज जाजरूजता सृजित जर-ो हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं जेत्रीय समाचार-पत्रों तथा टी.वी. चै-ालों पर विज्ञाप-ा जारी जिए जए।राज्य सरजारों जो प्रवर्त-ा उपायों में तेजी ला-ो एवं सार्वजनि-िज जाजरूजता पैदा

ज्र-ो हेतु भी ज्दम उठा-ो ज्े लिए ज्हा जया। इ-ा प्रवर्त-ा उपायों -ो -ियोक्ताओं में भी जाजरूज्ता पैदा ज्ी तथा इस ज्ारज से उ-ाज्े द्वारा स्वैच्छिज्र ज्ार्रवाई भी ज्ी जई ताज्ि वे अप-ी संबंधित इज्ाइयों में बाल श्रमिज्ों ज्ो -ियाजित -ा ज्रें।

6. शोध एकेडमिक संस्थानों को सहायता

अ-ुसंधा-ा अध्यय-ा -ीतिजत -िर्जयों ज्ो आधार प्रदा-ा ज्रते हैं। उदाहरज स्वरूप में वैश्वीज्रज तथा श्रम सुधारों ज्े दृष्टिजत ज्र्मज्ारों ज्ो व्यापज्र सुरजा तंत्र प्रदा-ा ज्र-ो ज्ी आवश्यज्ता है। सामाजिज्र सुरजा, व्यावसायिज्र सुरजा तथा स्वास्थ्य, -यू-ातम मजदूरी ज्े साथ-साथ अ-ुज्ूल ज्ामज्ाजी दशाओं ज्े संबंध में ज्ामजारों ज्े ज्ल्याज ज्ो संरजित ज्र-ो ज्े लिए ज्ार्यज्रमों तथा योज-ााओं ज्ो ब-ाा-ो ज्ी दृष्टि से जह-ा अ-ुसंधा-ा जांच ज्ी भी जरूरत प्रतीत होती है। अतः यह देजा जा सज्ता है ज्ि आजामी वर्षों में हमें भावी -ीतियों, ज्ार्यज्रमों तथा उ-ाज्े ज्रिया-वय-ा ज्े लिए अच्छे अ-ुसंधा-ा ज्ार्य ज्ी जरूरत होजी। वर्तमा-ा में, मांज-प्रेरित दृष्टिज्ोज ज्ा पाल-ा ज्िया जा रहा है। यह विवेज्पूर्ज होजा ज्ि मंत्रालय ज्ी सहज जरूरतों पर आधारित समस्या जेत्रों ज्ा पता लजाया जाये तथा विज्यात अ-ुसंधा-ा संजठ-ाों ज्ो अध्यय-ा ज्ा ज्ाम सौंपा जाए।

7. श्रमिक शिक्षा

क) वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान नौएडा

वर्ष 2010–2011 के लिए प्रस्तावित संस्थान के प्रमुख कार्यकलापों शोध, प्रशिक्षण, शिक्षा और प्रकाशन से संबंधित है। प्रत्येक के अन्तर्गत प्रस्तावित विभिन्न कार्यकलापों के ब्यौरे निम्नलिखित हैंः–

'kks/k

शुरू की जाने वाली शोध परियोजनएं संस्थान के प्रमुख शोध केन्द्रों के अंतर्गत रखी गई हैंः–

lsVj Qkj yscj ekdsV LVMht

केन्द्र द्वारा शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित शोध अध्ययनों में निम्नलिखित प्रतिपाद्य विषयों को लिया गया हैः– आंतरिक प्रवास, बागान श्रम, श्रम की आर्थिक पुनर्सरचना, श्रम बाजार में लिंगीय मुद्दे, अनौपचारिक सेक्टर, मजदूरी, निर्यात संवर्द्धन केन्द्रों में श्रम रोजगार तथा श्रम बाजार की गतिशीलता।

lsVj Qkj ,EIykW;easV fjys'kUl ,.M jsxqys'kUl

केन्द्र द्वारा शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित शोध अध्ययनों में निम्नलिखित प्रतिपाद्य विषयों को लिया गया हैः– कार्यस्थल औद्योगिक सम्बन्ध सर्वेक्षण श्रम बाजार संस्थान, सामाजिक संवाद, श्रम विधान और ठेका श्रम और सामाजिक सुरक्षा।

lsVj Qkj ,xzsfj;u fjys'kUl ,.M :jy yscj

केन्द्र द्वारा शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित शोध अध्ययनों में निम्नलिखित प्रतिपाद्य विषयों को लिया गया हैः– ग्रामीण मजदूरों को संगठित करने, ग्रामीण श्रम बाजार का ढांचा, भूमिहीन कृषि श्रमिक,

बंधुआ मजदूर आदि जैसे हाशिए पर रूके श्रम बल की कार्यदशाएं।

jk"Vh; cky Je llk/ku dUn

केन्द्र द्वारा शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित शोध अध्ययनों में निम्नलिखित प्रतिपाद्य विषयों को लिया गया हैः– चयनित उद्योगों में बाल श्रम, टूल्स फार कनवर्जेन्स को इवाल्व करना, घरेलू कार्यों में बाल श्रम तथा मूल्यांकन अध्ययन।

lVj Qkj tMj ,M ycj

इस केन्द्र की स्थापना अभी हाल ही में की गई है ताकि श्रम बाजार में लिंगीय मुद्दों को समझा जा सके और उन्हें मजबूती प्रदान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा सके। इस केन्द्र ने 'वूमन एंड डवलपमेंट इन इंडियाः ए बैलेंस शीट'' नामक एक अनुसंधान परियोजना शुरू की है।

f'k{kk ,o if'k{k.k

संस्थान निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन प्रस्तवित करता हैः–

- श्रम प्रशासन कार्यक्रम
- औद्योगिक संबंध कार्यक्रम
- ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए कार्यक्रम
- बाल श्रम कार्यक्रम
- उत्तर–पूर्वी राज्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
- अनुसंधान कार्यक्रम
- अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

शिक्षा तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में अन्य मुख्य गतिविधियां इस प्रकार प्रस्तावित हैंः प्रशिक्षण सामग्री का मानकीकरण, प्रशिक्षण पुस्तकों का प्रकाशन, कस्टमाइज्ड इन हाउस प्रोग्राम, संस्थान तथा अग्रणी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच सहयोग।

idk'ku

प्रकाशन कार्यक्रम के तहत नियमित पत्र–पत्रिकाएं एवं सामयिक प्रकाशन प्रकाशित करना जारी रखेगा।

संस्थान की नियमित प्रकाशन निम्नलिखित हैः*लेबर एंड डवलपमेंट, अवाड्र्स डाइजेस्ट, श्रम विधान, एवं इन्द्रधनुष।*

इसके अतिरिक्त श्रम के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सामयिक पत्र का प्रकाशन करता रहेगा।

संस्थान अनुसंधान से प्राप्त अपने अनुभवों को *एन.एल.आई. रीसर्च स्टडीज सीरीज* के माध्यम से प्रचार और प्रसार करता रहेगा।

ख. श्रमिक शिक्षा योजना

बोर्ड ने सन् 1977 से ग्रामीण श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया हैं। इसके अंतर्गत भूमिहीन श्रमिक, आदिवासी श्रमिक, कृषि श्रमिक, सीमांत कृषक, ग्रामीण कागीगर, वन श्रमिक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षिक बेरोजगार युवकों आदि को प्रशिक्षण दिया जाता है।

इसी तरह केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पत्थर की खानों एवं दुर्बल वर्ग, महिला एवं बाल श्रमिकों के साथ—साथ असंगठित क्षेत्र, लघु उद्योग इकाईयों से संबंधित श्रमिकों को भी प्रशिक्षित किया जाता है।

बोर्ड अपनी गतिविधियों और कार्यक्रमों का समय—समय पर पुनरीक्षण करता आ रहा है। अब वर्ष 1977—1978 से संगठित क्षेत्र में श्रमिकों के प्रशिक्षण के स्थान पर असंगठित, ग्रामीण क्षेत्र और समाज के दुर्बल वर्ग के श्रमिकों के प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है। अनुकूल औद्योगिक संबंधों का वातावरण तैयार करने की दृष्टि से श्रमिकों तथा प्रबंधनों के प्रतिविधियों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन पर भी अधिक ध्यान दिया जा रहा है। श्रम संघ कार्यकर्ताओं के लिए व्यक्तित्व विकास कार्यक्रमों के आयोजन पर भी अधिक जोर दिया जा रहा है। श्रमिकों की भागीदारी, उत्पादकता, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों और महिला श्रमिकों, बाल श्रमिकों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रमिकों, ग्रामीण श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन को अधिक महत्त्व दिया जा रहा है।

8. कर्मचारी पेंशन योजना

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.भ.नि.सं.) की 'भारत में क.भ.नि. का आधुनिकीकरण परियोजना का प्रारम्भ जून 2001 में व्यापार प्रक्रिया की पुनः संरचना (बी.पी.आर.) के प्रयोग के माध्यम से संगठन को विश्व स्तर पर आधुनिक बनाने एवं पुनः स्थापित करने के लिए किया गया।

मैसर्स सीमैन्स इन्फोर्मेशन सिस्टम लि. (एस.आई.एस.एल.) को 'भारत में क.भ.नि. का आधुनिकीकरण' नामक परियोजना के सलाहकार के रूप में परियोजना के विकास एवं क्रियान्वयन हेतु सेवाएं प्रदान करने के आदेश के साथ नियुक्त किया गया जिसमें सभी मुख्य कार्यक्रम के क्षेत्रों में डिजाइन, विकास, संघटन, उपयुक्त सिस्टम, प्रक्रियाओं, प्राद्योगिकी सॉफ्टवेयर आदि का क्रियान्वयन शामिल होगा।

9. रोजगार एंव प्रशिक्षण

रोजजार एवं प्रशिजज महानिदेशालय -ो पिछले पांच वर्षों ज़े दौरा-ा देश में व्यावसायिज़ प्रशिजज प्रजाली ज़ा सुदृढ़ीज़रज ज़र-ो ज़े लिए ज़ुछ -ए प्रयास ज़िए हैं।

I. "पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्ज़िम तथा जम्मू एवं ज़श्मीर राज्यों में औद्योजिज़ प्रशिजज संस्था-ों (औ.प्र.सं.)

जी स्थाप-ाा” -ाामज जे-द्र प्रवर्तित योज-ाा।

मा-ा-ीय प्रधा-ामंत्री -ो ज-ावरी 2000 में पूर्वोत्तर जेत्र जे समाजार्थिज विजास हेतु एज जार्यसूची जी घोषजा जी जिसमें अ-य बातों जे साथ-साथ अजले ती-ा वर्षों में -ाए व्यवसायों में प्रशिजज प्रदा-ा जर-ो जे लिए पूर्वोत्तर जेत्र में औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ाों जो दोजु-ाा जर-ाा शामिल था।

योज-ाा में -िम्-ालिजित घटज शामिल हैं

- पूर्वोत्तर में 25 -ाए औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ाों जी स्थाप-ाा
- पूर्वोत्तर जेत्र में 53 में से 35 विद्यमा-ा औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ाों जा सुदृढ़ीजरज/ आधु-िजीजरज
- जम्मू व जश्मीर में 37 विद्यमा-ा औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ाों जा सुदृढ़ीजरज/आधु-िजीजरज तथा जम्मू में एज -ाए महिला औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ा जी स्थाप-ाा

परिव्यय

- **पूर्वोत्तर संघटज जे लिए जुल परिव्यय 113.7 जरोड़ रुपए है।**
- **जम्मू व जश्मीर संघटज जे लिए जुल परिव्यय 37.0 जरोड़ रुपए है।**
- **आमेलित योज-ाा हेतु जुल योज : 150.7 जरोड़ रुपए।**

समय/लाजत सीमा जे साथ आरंभ जर-ो पर

व्यय वित्त समिति तथा आर्थिज जार्यों हेतु मंत्रिमंडल समिति जे विधिवत अ-ुमोद-ा जे पश्चात IX वीं योज-ाा जे अंतिम वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2001-02 में योज-ाा आरंभ जी जई। जुल परियोज-ाा लाजत 100 जरोड़ रुपए थी। उक्त योज-ाा Xवीं योज-ाा में जारी रही तथा इसजे पूर्ज हो-ो जी -िर्धारित तिथि 31.03.2007 थी। यहाँ यह उल्लेज जिया जा सजता है जि वर्ष 2005-06 में उक्त योज-ाा जो जम्मू एवं जश्मीर जी एज अ-य जे-द्र प्रवर्तित योज-ाा में विलयित जिया जया था तथा 137 जरोड़ रु. (पूर्वोत्तर राज्यों हेतु 100 जरोड़ रूपए तथा जम्मू एवं जश्मीर हेतु 37 जरोड़ रु.) जे जुल आबंट-ा सहित इस योज-ाा जा -ााम बदलजर “पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्जिम में -ाए औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ाों जी स्थाप-ाा तथा जम्मू व जश्मीर में औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ाों जा सुदृढ़ीजरज/आधु-िजीजरजछ रज दिया जया। तथापि, प्रधा-ामंत्री जार्यालय जे परामर्श से योज-ाा आयोज द्वारा विद्यमा-ा योज-ाा जे भीतर 13.7 जरोड़ जे अतिरिक्त आबंट-ा सहित 3 -ाए औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ाों -सिक्जिम राज्य में 2 तथा असम में एज जी स्थाप-ाा जा अ-ुमोद-ा जिया जया है। चूंजि पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्जिम में 3 अतिरिक्त -ाए औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ाों जी स्थाप-ाा में समय लजेजा, इसलिए परियोज-ाा जो विस्तारित जर-ो जे लिए अ-ुमोद-ा मांजा जया। आर्थिज जार्यों हेतु मंत्रिमंडल समिति -ो 23 अजस्त 2007 जो हुई अप-ी बैठज में 11वीं योज-ाावधि में 31.03.2009 तज दो वर्षों हेतु पूर्वोत्तर तथा जम्मू व जश्मीर परियोज-ाा जो -िम्-ाा-ुसार जारी रज-ो जा अ-ुमोद-ा जिया है :

- o **पूर्वोत्तर परियोज-ाा पर चल रहा वर्तमा-ा संघटज (जुल परिव्यय100 जरोड़ रुपए)-31.03.2008 तज एज वर्ष**
- o **3 -ाए औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ाों जी स्थाप-ाा (परिव्यय 13.7 जरोड़ रुपए) -31.03.2009 तज दो वर्ष**

o जम्मू व ज्श्मीर संघटज (परिव्यय 37 ज्रोड़)- 31.03.2009 तज दो वर्ष

राज्यों जे संदर्भ में विस्तार जेत्र :

"पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्जिम में -ाए औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ाों जी स्थाप-ाा " -ाामज परियोज-ाा में -िम्-ा राज्यों जो शामिल जिया जा रहा है।

राज्य	स्थापित जिए जा रहे -ाए औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ा	विद्यमा-ा औ.प्र.संस्था-ा जि-ाजा सुदृढ़ीजरज /आधुनिजीजरज जिया जा रहा है, जी संज्या
(i) अरुजाचल प्रदेश	2	1
(ii) असम	4	17
(iii) मजिपुर	5	4
(iv) मेघालय	1	4
(v) मिजोरम	2	1
(vi) -ाागालैंड	4	3
(vii) त्रिपुरा	4	4
(viii) सिक्जिम	-	1
योज-ाा आयोज द्वारा वर्तमा-ा में अ-ाुमोदित अतिरिक्त -ाए औ.प्र.सं।		
(i) सिक्जिम	2	
(ii) असम	1	
योज	25	35

परियोज-ाा योज-ााओं जे जार्या-िवत हो जा-ो पर पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ाों जी सीट जमता 8900 सीटों जी वृद्धि जे साथ वर्तमा-ा 7244 से बढ़जर 16144 हो जाएजी।

जम्मू व ज्श्मीर संघटज

उद्देश्य

1. परियोज-ाा जा अ-ाुमोद-ा मार्च 2005 में जिया जया था।
2. 'जम्मू एवं ज्श्मीर राज्य में 37 विद्यमा-ा औ.प्र. संस्था-ाों जा सुदृढ़ीजरज एवं आधुनिजीजरज तथा एज -ाए महिला औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ा जी (जम्मू में) स्थाप-ाा' शामिल है।
3. 37 ज्रोड़ रु. जी जुल लाजत वाली एज जे-द्र प्रवर्तित योज-ाा।

4. परियोज-ाा जो वित्तीय वर्ष 2009-10 अर्थात 31.03.2010 तज पूरा जिया जा-ाा है।

5. जार्या-वय-ा अवधि जे दौरा-ा 100% आवर्त्ती लाजत जा वह-ा जे-द्र सरजार द्वारा जिया जाएजा तथा तत्पश्चात पूर्ज प्रचाल-ा लाजत जा वह-ा जम्मू एवं जश्मीर राज्य द्वारा अप-ो -िजी संसाध-ाों से जिया जाएजा।

6. जम्मू एवं जश्मीर में औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ा जी सीट जमता 4364 से बढ़जर 6200 हो जाएजी।

पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्जिम तथा जम्मू व जश्मीर में -ाए औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ाों जी स्थाप-ाा -ाामज योज-ाा हेतु वर्ष 2008-09 जे दौरा-ा व्यय 13.62 जरोड़ रुपए था और वित्तीय वर्ष 2009-10 (दिसम्बर, 2009 तज) (पूर्वोत्तर और जम्मू व जश्मीर राज्य सरजारों द्वारा प्रस्ताव -ा भेज-ो जे जारज) शू-य है।

II. जौशल विजास पहल योज-ाा (एस डी आई एस)

श्रम और रोजजार मंत्रालय -ो व्यावसायिज प्रशिजज में उत्जृष्टता हेतु जल्दी स्जूली शिजा छोड़ दे-ो वालों तथा वर्तमा-ा जामजारों जे लिए उद्योज, राज्य सरजारों तथा विशेषज्ञों जे -िजट परामर्श से जौशल विजस हेतु एज -ाए -ाीतिजत ढांचे जा विजास जिया है। व्यय वित्त समिति तथा आर्थिज जार्यों हेतु मंत्रिमंडल समिति -ो ज्रमश: 19.02.2007 तथा 24.05.2007 जो योज-ाा जो अ-ाुमोद-ा प्रदा-ा जर दिया है। एस डी आई योज-ाा जे जार्या-वय-ा जा जार्य मई 2007 से आरंभ जिया जया था। एज मिलिय-ा व्यक्तियों जे प्रशिजज/परीजज जे लज्य जे साथ परियोज-ाा अवधि 5 वर्ष (2007-12) है। योज-ाा जा जुल परिव्यय 550 जरोड़ रुपए है।

योज-ाा जी मुज्य विशेषताएं -िम्-ालिजित हैं :

- उद्योज जे परामर्श से मॉड्यूलर -ियोज-ीय जौशलों (एम ई एस) जे आधार पर मांज आधारित अल्पावधि प्रशिजज पाठ्यज्रमों जे संबंध में -िर्जय लिया जाता है। एम ई एस '-यू-ातम जौशल सेट' है जोजि लाभप्रद रोजजार हेतु पर्याप्त है।
- जे-द्र सरजार प्रशिजज जो सुजर ब-ााएजी तथा संवर्धित जरेजी जबजि उद्योज, -िजी जेत्र तथा राज्य सरजारें/संघ शासित प्रदेश व्यक्तियों जो प्रशिजज प्रदा-ा जरेंजे।
- प्रशिजज जो लाजत प्रभावी ब-ाा-ो जे लिए विद्यमा-ा अवसंरच-ाा जा इष्टतम उपयोज।
- अ-ाौपचारिज तौर से प्राप्त जौशलों जा परीजज एवं प्रमाजीजरज।

III. 500 औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ाों जा उत्जृष्ट जे-द्रों जे रूप में उन्नय-ा

जे-द्रीय वित्त मंत्री -ो अप-ो बजट भाषज 2004-2005 तथा पु-ा: 2005-06 में देश में 500 औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ाों जे उन्नय-ा हेतु उपायों जी घोषजा जी। तत्पश्चात, वित्त मंत्री जे परामर्श जे

अ-ाुरूप, 100 औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ाों जा घरेलू संसाध-ाों तथा 400 औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ाों जा विश्व बैंज सहायता जे माध्यम से उन्नय-ा जर-ो हेतु जार्रवाई जी जई।

बहु-जौशल पाठ्यक्रमों जी मुज्य विशेषताएं -िम्-ालिजित हैं :

- अवसंरच-ाा सुविधाएँ प्रदा-ा जर, जिसी औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ा जे आस-पास उद्योज जे विशेष समूह जी मांज जो पूरा जर-ो जे लिए बहु-जौशल पाठ्यक्रम आरंभ, विश्व स्तर जा बहु-जौशलयुक्त जार्यबल तैयार जर-ो जे लिए च्उत्जृष्ट जे-द्रों (सीओई)छ जे रूप में औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ाों जा उन्नय-ा।
- **योज-ाा जी मुज्य विशेषताएं -िम्-ा प्रजार हैं:**
  - एज वर्षीय व्यापज आधारित बु-ियादी प्रशिजज (बीबीबीटी) पाठ्यक्रम, तत्पश्चात 6 माह जी अवधि जे उन्नत माड्यूलर पाठ्यक्रम आरंभ जर-ाा।
  - छह माह जे विशिष्ट माड्यूल, मुज्यतया उद्योज में (शॉप फ्लोर प्रशिजज)।
  - बहु-आजत तथा बहु-िर्जम प्रावधा-ा।
  - उद्योजवार समूह दृष्टिजोज।
  - प्रशिजज जे समस्त पहलुओं में उद्योज जी अपेजाजृत अधिज एवं सक्रिय भाजीदारी सु-िश्चित जर-ो जे लिए संस्था-ा प्रबंध-ा समिति (आईएमसी) जे रूप में सार्वजनि-ज-िजी भाजीदारी।

100 औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ाों जा उत्जृष्ट जे-द्रों जे रूप में उन्नय-ा

योज-ाा जा उद्देश्य विश्व स्तर जा जुशल जार्यबल तैयार जर-ो हेतु वर्तमा-ा 100 सरजारी औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ाों जा च्उत्जृष्ट जे-द्रोंछ जे रूप में उन्नय-ा जर-ाा है।

व्यय वित्त समिति (ई एफ सी) -ो 15 फरवरी 2005 जो हुई अप-ाी बैठज में योज-ाा जी संस्तुति जी। आर्थिज जार्यों हेतु मंत्रिमंडल समिति -ो 16 मार्च 2005 जो हुई अप-ाी बैठज में योज-ाा जो अ-ाुमोद-ा प्रदा-ा जिया। घरेलू संसाध-ाों से वित्तपोषित जिए जा-ो वाले 100 औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ा 22 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में (जम्मू व जश्मीर, सिक्जिम तथा पूर्वोत्तर राज्यों से इतर) इ-ा राज्यों में सरजारी औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ाों जी संज्या जे अ-ाुपात में बंटे हैं। योज-ाा जी जुल लाजत 160 जरोड़ रुपए है, जिसमें से जे-द्र तथा राज्य सरजार जे बीच लाजतभाजिता जे 75:25 जे प्रतिरूप पर जे-द्र सरजार जा अंशदा-ा 120 जरोड़ रुपए है।

जिसी विशेष जेत्र में आईटीआई में प्रशिजज पहले से आरम्भ हो जया है। योज-ाा 31.3.2010 जो समाप्त हो रही है। तथापि अ-य बातों ज साथ-साथ आईटीआईज में बाजी जे -ियोज-ाीय जौशलों जो सम्मिलित जरते हुए योज-ाा जा संशोध-ा जर-ो जा प्रस्ताव है। इसजे लिए अतिरिक्त -िधि प्रदा-ा जर-ो जा प्रस्ताव है।

विश्व बैंज सहाय्यित च्व्यावसायिज सुधार परियोज-ाा (वी टी आई पी)छ जे साथ 400 औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ाों जा उन्नय-ा

शेष 400 औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ाों जा विश्व बैंज जी सहायता से उन्नय-ा जिया जाएजा, इ-ामें से **100 औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ाों जो वित्त वर्ष 2006-07 जे दौरा-ा 23 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में पूर्व प्रभावी वित्तपोषज से हाथ में लिया जया।** शेष 300 औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ाों में से, **150 औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ाों** जा प्रतिस्पर्धात्मज चय-ा **जे अंतर्जत 2007-08 में चय-ा जिया जया** तथा शेष 150 औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ा 2008-09 में चु-ो जए।

जे-द्रीय वित्त मंत्री तथा विश्व बैंज जे अध्यज जी उपस्थिति में विश्व बैंज जे साथ 02.11.2007 जो जरार पर हस्ताजर जिए जए। परियोज-ाा जे बंद हो-ो जी तिथि दिसम्बर 2012 है।

33 राज्य सरजारों/संघ शासित प्रदेशों तथा जे-द्र सरजार द्वारा योज-ाा जा जार्या-वय-ा जिया जा रहा है। राज्य सरजारों जो परियोज-ाा अवधि जे दौरा-ा तथा बाद में योज-ाा जे जार्या-वय-ा/सततता जे लिए प्रतिबद्धता, औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ाों जे प्रधा-ााचार्यों जी शक्तियों में वृद्धि, तथा संस्था-ा प्रबंध-ा समिति (आई एस सी) जे सशक्तिजरज हेतु समझौता-ज्ञाप-ा (एम ओ यू) पर हस्ताजर जर-ो होंजे।

IV. च्सार्वजनिज-निजी भाजीदारी जे माध्यम से 1396 सरजारी औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ाों जा उन्नय-ाछ

देश में 1896 सरजारी औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ाों (1.1.2007 जी स्थिति जे अ-ाुसार) में से 500 सरजारी औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ाों जा वर्ष 2005-06 से आरंभ योज-ाा जे तहत उत्जृष्ट जे-द्रों जे रूप में उन्नय-ा जिया जा रहा है। मा-ा-ीय वित्त मंत्री -ो वर्ष 2007-08 जे अप-ो बजट अभिभाषज में सार्वजनिज निजी भाजीदारी जे माध्यम से शेष 1396 सरजारी औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ाों जा उत्जृष्ट जे-द्रों जे रूप में उन्नय-ा जर-ो जी घोषजा जी। तद-ाुरूप , 3665 जरोड़ रु. (2.5 जरोड़ रु. प्रति औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ा जी दर से 1396 औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ाों जे उन्नय-ा हेतु 3490 जरोड़ रु. तथा योज-ाा जे प्रबंध-ा, प्रबोध-ा तथा मूल्यांज-ा हेतु 175 जरोड़ रु.) जा जुल परिव्यय तैयार जिया जया है।

योज-ाा जा उद्देश्य प्रशिजज जी रूपरेजा एवं सुपुर्दजी जो अधिज माँज प्रभावी ब-ााजर व्यावसायिज प्रशिजज प्रजाली जे स्-ाातजों जे रोजजार परिजामों में सुधार जर-ाा हैं।

- उन्नय-ा जिए जा-ो वाले प्रत्येज औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ा जे लिए उन्नय-ा जी प्रज्रिया जा -ोतृत्व जर-ो जे लिए एज उद्योज भाजीदार जो शामिल जिया जाएजा। उद्योज संघों जे परामर्श से राज्य सरजार द्वारा उद्योज भाजीदार जा चय-ा जिया जाएजा।
- प्रत्येज चुनिंदा औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ा हेतु एज संस्था-ा प्रबंध-ा समिति(आईएमसी) जा जठ-ा/पु-ार्जठ-ा जिया जाएजा, इसमें अध्यज जे रूप में उद्योज भाजीदार या उ-ाजा प्रतिनिधि, उद्योज भाजीदार द्वारा -ाामित जिए जा-ो वाले स्था-ीय उद्योज जे चार सदस्य, राज्य सरजार द्वारा -ाामित जिए जा-ो वाले पाँच सदस्य, पदे-ा सदस्य सचिव जे रूप में प्रधा-ााचार्य, औद्योजिज

प्रशिजज संस्था-ा शामिल हैं। राज्य सरजार द्वारा संस्था-ा प्रबंध-ा समिति जो सोसाइटी पंजीजरज अधि-ियम जे तहत एज सोसाइटी जे रूप में पंजीजृत जिया जाएजा।

- औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ा जे जार्यजरज जा प्रबंध-ा जर-ो जे लिए आई एम सी जो वित्तीय एवं शैजिज स्वायत्तता प्रदा-ा जी जाएजी। संस्था-ा प्रबंध-ा समिति जो औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ाों में 20% तज प्रवेश -िर्धारित जर-ो जी भी अ-ुमति दी जाएजी।
- जे-द्र सरजार द्वारा संस्था-ा प्रबंध-ा समिति जो प्रत्यज रूप से 2.5 जरोड़ रुपए तज जा ब्याजमुक्त ऋज प्रदा-ा जिया जाएजा जिसे औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ाों जा उन्नय-ा जर-ो हेतु -िधियों जा उपयोज जर-ो जी शक्तियाँ प्रदा-ा जी जाएंजी।
- ब्याज मुक्त ऋज जी अदायजी संस्था-ा प्रबंध-ा समिति द्वारा जी जाएजी। ऋज लौटा-ो जे लिए 10 वर्षों जी अधिस्थज-ा अवधि होजी तथा तत्पश्चात ऋज जा भुजता-ा 20 वर्षों जी अवधि जे दौरा-ा एज समा-ा वार्षिज जिस्तों में जिया जाएजा।
- राज्य सरजार औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ा जी स्वामी जे रूप में ब-ी रहेजी और 20% तज प्रवेश, जिसजे -िर्धारज जर-ो जी अ-ुमति संस्था-ा प्रबंध-ा समिति जो होती है, जे सिवाए प्रवेश एवं शुल्जों जा वि-ियम-ा जारी रजेजी।
- आर्थिज जार्यों हेतु मंत्रिमंडल समिति -ो वर्ष 2008-09 से 2011-12 जे दौरा-ा 2,800 जरोड़ रु. जे परिव्यय सहित 1096 औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ाों जे उन्नय-ा हेतु योज-ाा जो दि-ाांज 03.10.2008 जो हुई अप-ी बैठज में मंजूरी दे दी है।

V. **सार्वजनिज-निजी भाजीदारी जे माध्यम से 1500 औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ाों तथा 5000 जौशल विजास जे-द्रों जी स्थाप-ाा।**

जिस जेत्र में औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ा -ाहीं हैं उसजी ओर ध्या-ा दे-ो जे लिए योज-ाा आयोज द्वारा -ाई योज-ाा अर्थात सार्वजनिज-निजी भाजीदारी जे माध्यम से 1500 औद्योजिज प्रशिजज संस्था-ाों जी स्थाप-ाा तथा सार्वजनिज निजी भाजीदारी जे माध्यम से 5000 जौशल विजास जे-द्रों जी स्थाप-ाा, जा अ-ुमोद-ा जर दिया जया है। 2010-11 जे लिए 4 जरोड़ रुपए जा सांजेतिज प्रावधा-ा रजा जया है। यह योज-ाा मा-ा-ीय प्रधा-ामंत्री द्वारा स्वत-त्रता दिवस जो जी जई घोषजा जे अ-ुपाल-ा में है।